[2020] 2 एस.सी.आर. 925

रामबाबू सिंह ठाकुर

बनाम

सुनील अरोड़ा और अन्य

(2011 की डब्ल्यू.पी. (सी) संख्या 536) में

(2018 की अवमानना याचिका (सी) संख्या 2192)

13 फरवरी, 2020

[आर. एफ. नरीमन और एस. रवींद्र भट, न्यायमूर्ति]

*चुनाव कानूनः भारत में राजनीति का अपराधीकरण - इन *पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन और अन्य बनाम भारत संघ, इस न्यायालय ने भारत में राजनीति के बढ़ते अपराधीकरण और नागरिकों के बीच इस तरह के अपराधीकरण के बारे में जानकारी की कमी को देखते हुए कुछ निर्देश जारी किए थे - तत्काल मामले में, अभिलेख पर रखे गए दस्तावेजों ने पिछले चार आम चुनावों में राजनीति में अपराधियों की घटनाओं में खतरनाक वृद्धि दिखाई - राजनीतिक दलों द्वारा अपने उम्मीदवारों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया - इसलिए, अनुच्छेद 129 और 142 के तहत संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजनीतिक दलों के लिए यह निर्देश पारित किए गए कि वे लंबित आपराधिक मामलों वाले व्यक्तियों के बारे में विस्तृत जानकारी अपनी वेबसाइट पर अपलोड करें, उन कारणों के साथ जिनकी वजह से उन्हें उम्मीदवारों के रूप में चुना गया है - चयन के कारण संबंधित उम्मीदवार की योग्यता, उपलब्धियों और गुण-दोष के संदर्भ में होने चाहिए, न कि चुनावों में केवल "जीतने की क्षमता" के संदर्भ में - ऐसी जानकारी राष्ट्रीय और एक स्थानीय भाषा के समाचार पत्र और फेसबुक और ट्विटर सहित राजनीतिक दल के आधिकारिक सोशल मीडिया मंचों पर भी प्रकाशित करनी होगी - ये विवरण उम्मीदवार के चयन के 48 घंटों के भीतर या नामांकन दाखिल करने की पहली तारीख से कम से कम दो सप्ताह पहले, जो भी पहले हो, प्रकाशित किए जाने चाहिए - संबंधित राजनीतिक दल को उक्त उम्मीदवार के चयन के 72 घंटे के भीतर चुनाव आयोग के साथ इन निर्देशों के अनुपालन की एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए - यदि कोई राजनीतिक दल निर्वाचन आयोग के पास ऐसी अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो निर्वाचन आयोग संबंधित राजनीतिक दल द्वारा इस प्रकार के गैर-अनुपालन को इस न्यायालय के आदेशों/निर्देशों की अवमानना के रूप में*

उच्चतम न्यायालय के संज्ञान में लाएगा - अवमानना याचिकाओं का निपटारा किया गया - भारत का संविधान - अनुछेद 129 और 142

******पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन और अन्य बनाम भारत संघ* **(2019) 3 एस.सी.सी. 224 - पर भरोसा किया गया।**

<u>निर्णय विधि संदर्भ</u>

(2019) 3 एस.सी.सी. 224 पर भरोसा किया पैरा 1

अंतर्निहित अधिकारिता: 2011 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 536 में 2018 की अवमानना याचिका (सी) संख्या 2192

2011 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 536 में इस माननीय न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 25.09.2018 के निर्णय के गैर-अनुपालन के लिए दायर याचिका।

के साथ

डब्ल्यू.पी. (सी) संख्या 536/2011 में अवमानना याचिका (सी) संख्या 428/2019

डब्ल्यू.पी. (सी) संख्या 536/2011 में अवमानना याचिका (सी) संख्या 464/2019

गोपाल शंकरनारायणन, वरिष्ठ अधिवक्ता, अश्विनी कुमार दुबे और संदीप कुमार मिश्रा, अधिवक्तागण, याचिकाकर्ता के लिए।

विकास सिंह, सुश्री ऐश्वर्या भाटी, वरिष्ठ अधिवक्ता, अमित शर्मा, दीपेश सिन्हा, सुश्री अयियाला इम्ती, सुश्री दीपिका कालिया, सातविक मिश्रा, सुश्री श्रद्धा देशमुख, अरविंद कुमार शर्मा, सुश्री सुगंधा आनंद और कबीर दीक्षित, अधिवक्तगण, प्रत्यर्थियों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया था

आर. एफ. नरीमन, न्यायमूर्ति:

1. यह अवमानना याचिका भारत में राजनीति के अपराधीकरण के संबंध में गंभीर मुद्दों को उठाती है और हमारे ध्यान में *पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन और अन्य बनाम भारत संघ और एक अन्य* (2019) 3 एस.सी.सी. 224 में इस न्यायालय की संविधान पीठ के निर्देशों की अवहेलना की ओर लाती है।

2. इस निर्णय में, भारत में राजनीति के बढ़ते अपराधीकरण और नागरिकों के बीच इस तरह के अपराधीकरण के बारे में जानकारी की कमी के बारे में इस न्यायालय के संज्ञान में आया था। इस सूचना के अंतर को दूर करने के लिए, इस न्यायालय ने निम्नलिखित निर्देश जारी किएः

"116. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम निम्नलिखित निर्देश जारी करना उचित समझते हैं जो इस न्यायालय के निर्णयों के अनुरूप हैंः

116.1. प्रत्येक चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को चुनाव आयोग द्वारा प्रदान किए गए प्रपत्र को भरना होगा और प्रपत्र में आवश्यकतानुसार सभी विवरण होने चाहिए।

116.2. यह उम्मीदवार के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों के संबंध में मोटे अक्षरों में बताएगा।

116.3. यदि कोई उम्मीदवार किसी विशेष पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहा है, तो उसे पार्टी को उसके खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों के बारे में सूचित करना आवश्यक है।

116.4. संबंधित राजनीतिक दल आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों से संबंधित उपरोक्त जानकारी अपनी वेबसाइट पर डालने के लिए बाध्य होगा।

116.5. उम्मीदवार के साथ-साथ संबंधित राजनीतिक दल इलाके में व्यापक रूप से प्रसारित समाचार पत्रों में उम्मीदवार की पृष्ठभूमि के बारे में एक घोषणा जारी करेगा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी व्यापक प्रचार करेगा। जब हम व्यापक प्रचार कहते हैं, तो इसका हमारा मतलब है कि नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद कम से कम तीन बार ऐसा किया जाएगा।"

3. अभिलेख पर रखे गए दस्तावेजों के अवलोकन और अधिवक्ताों द्वारा प्रस्तुत किए जाने के बाद, ऐसा प्रतीत होता है कि पिछले चार आम चुनावों में, राजनीति में अपराधियों की घटनाओं में खतरनाक वृद्धि हुई है। 2004 में, 24 प्रतिशत संसद सदस्यों के खिलाफ आपराधिक मामले लंबित थे; 2009 में, जो बढ़कर 30 प्रतिशत हो गए; 2014 में 34 प्रतिशत हो गए; और 2019 में 43 प्रतिशत संसद सदस्यों के खिलाफ आपराधिक मामले लंबित थे।

4. हमने यह भी नोट किया है कि राजनीतिक दल इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं देते हैं कि लंबित आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों को उम्मीदवार के रूप में क्यों चुना जाता है। इसलिए हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 129 और 142 के तहत अपनी संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित निर्देश जारी करते हैंः

1). राजनीतिक दलों के लिए (केंद्रीय और राज्य चुनाव स्तर पर) यह अनिवार्य होगा कि वे अपनी वेबसाइट पर लंबित आपराधिक मामलों वाले व्यक्तियों (अपराधों की प्रकृति सहित, और प्रासंगिक विवरण जैसे कि क्या आरोप बनाए गए हैं, संबंधित न्यायालय, मामला संख्या आदि) के बारे में विस्तृत जानकारी अपलोड करें, उन कारणों के साथ जिनकी वजह से उन्हें उम्मीदवारों के रूप में चुना गया है, और साथ ही साथ आपराधिक पृष्ठभूमि के बिना अन्य व्यक्तियों को उम्मीदवार के रूप में क्यों नहीं चुना जा सका।

2) चयन के कारण संबंधित उम्मीदवार की योग्यता, उपलब्धियों और गुण-दोष के संदर्भ में होंगे, न कि केवल चुनाव में "जीतने की क्षमता" के संदर्भ में।

3) यह जानकारी निम्नलिखित में भी प्रकाशित की जाएगीः

(क) एक देशी भाषा के स्थानीय समाचार पत्र और एक राष्ट्रीय समाचार पत्र;

(ख) फेसबुक और ट्विटर सहित राजनीतिक दल के आधिकारिक सोशल मीडिया मंचों पर।

4) ये विवरण उम्मीदवार के चयन के 48 घंटों के भीतर या नामांकन दाखिल करने की पहली तारीख से कम से कम दो सप्ताह पहले, जो भी पहले हो, प्रकाशित किए जाएंगे।

5) संबंधित राजनीतिक दल उक्त उम्मीदवार के चयन के 72 घंटों के भीतर चुनाव आयोग को इन निर्देशों के अनुपालन की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

6) यदि कोई राजनीतिक दल चुनाव आयोग के साथ ऐसी अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो निर्वाचन आयोग संबंधित राजनीतिक दल द्वारा इस प्रकार के गैर-अनुपालन को इस न्यायालय के आदेशों/निर्देशों की अवमानना के रूप में उच्चतम न्यायालय के संज्ञान में लाएगा।

5. इन निर्देशों के साथ, इन अवमानना याचिकाओं का तदनुसार निपटान किया जाता है।

देविका गुजराल अवमानना याचिकाओं का निपटान किया गया।

<u>अस्वीकरण :</u>

क्षेत्रीय भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्द्मेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

लाल सिंह, पूर्व ए.डी.जे.